web : www.nyaysakshi.com || पृष्ठ-2 में पढ़ें संपादकीय-खेल-व्यापार-धर्म-खाना खजाना-राशिफल || पृष्ठ-3 में पढ़ें छत्तीसगढ़-प्रादेशिक-सेहत-विज्ञान-फीचर

दैनिक न्याय साक्षी

अधिकार से न्याय तक

आवश्यक सूचना

आप सभी को सूचित करते हर्ष हो रहा है, कि न्यायसाक्षी अधिकार से न्याय तक दैनिक हो गया है। इसका सर्वे का कार्य आगे भी तेजी से चल रहा है, जल्द ही सर्वे की टीम आपके घर विजिट करेगी, कृपया अपनी प्रति सुरक्षित कराएं।

RNI NO :- CHHHIN16931 || email :- nyaysakshi@gmail.com || रायगढ़, गुरूवार 1 नवम्बर 2018 || पृष्ठ-4, मूल्य 3 रूपए || वर्ष-01, अंक-37

पति की मौत पर नहीं रोई थी, इसलिए पत्नी को कोर्ट ने दी उम्रकैद की सजा

गुवाहाटी (आरएनएस)। असम में एक हत्या मामले में स्थानीय कोर्ट ने पत्नी को अपने पति की हत्या का दोषी माना था। इस मामले में महिला को उम्रकैद की सजा भी सुना दी गई। पिछले पांच साल से वह जेल में बंद है। हैरानी वाली बात यह है कि कोर्ट ने महिला को पति की हत्या का दोषी सिर्फ इसलिए माना, क्योंकि वह अपने पति की मौत के बाद रोई नहीं थी। यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो बुधवार को कोर्ट ने इस तर्क को खारिज करते हुए महिला को बरी करने का आदेश सुनाया।

आश्चर्य की बात है कि महिला को इस तर्क के आधार पर न सिर्फ निचली अदालत ने सजा सुनाई थी बल्कि इस अदालत के फैसले को गुवाहाटी हाई कोर्ट ने भी बरकरार रखा था। हाई कोर्ट ने कहा कि महिला का अपने पति की अप्राकृतिक मौत पर न रोना एक अप्राकृतिक आचरण है, जो बिना किसी संदेह महिला को दोषी साबित करता है।

हत्या वाली रात अपने पति के साथ थी!

निचली अदालत और हाईकोर्ट ने महिला को सजा देते समय इस बात पर भी जोर दिया कि पति की हत्या वाली रात अंतिम बार महिला अपने पति के साथ थी। हत्या के बाद वह रोई नहीं, इससे उसके ऊपर संदेह गहराता है और यह साबित करता है कि उसने ही अपने पति की हत्या की।

सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस आरएफ नरीमन और जस्टिस नवीन सिन्हा की बेंच ने कहा कि जो भी परिस्थितिजन्य साक्ष्य हैं उनके आधार पर यह कहना सही नहीं है कि महिला ने ही अपने पति की हत्या की है। इसके साथ ही बेंच ने महिला को जेल से रिहा करने का आदेश दिया।

बिना हाथ के पैदा हो रहे बच्चे, लोगों में डर

सरकार ने देशव्यापी जांच के आदेश दिए

पैरिस (आरएनएस)। फ्रांस में बिना हाथ या हाथ की विकृति के साथ पैदा हो रहे बच्चों का मामला काफी चर्चा का विषय बन गया है। फ्रांस के कई इलाकों से जन्मदोष के ये मामले सामने आने के बाद एक डर का वातावरण तैयार हो गया है। अब फ्रांस की सरकार ने देशव्यापी स्तर पर इस मामले की जांच कराने का फैसला किया है।

फ्रांस की पब्लिक हेल्थ एजेंसी के मुखिया फ्रान्स्वा बोदलॉन ने इसकी पुष्टि की है कि पहली बार इस मामले में राष्ट्रव्यापी जांच जारी है। उनके मुताबिक करीब 3 महीने में इस जांच के नतीजे सामने आ जाएंगे। उन्होंने आरटीएल रेडियो पर श्रोताओं से कहा कि नागरिकों से कुछ भी छिपाया नहीं जाएगा। यह मामला सोमवार से तब कुछ ज्यादा ही गंभीर हो गया।

विकास, तेजी से विकास और सबका विकास हमारा अजेंडा: मोदी

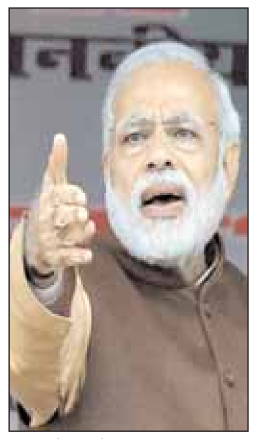

नई दिल्ली (आरएनएस)। देश के पांच राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले पीएम नरेंद्र मोदी ने बुधवार को चुनावी राज्यों में बीजेपी के कार्यकर्ताओं को विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित किया। दिल्ली से मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और तेलंगाना के बूथ स्तरीय कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए पीएम ने ना सिर्फ अपनी सरकार की उपलब्धियों की चर्चा की, बल्कि कार्यकर्ताओं को चुनाव में जीत का मंत्र भी दिया।

अपने संबोधन के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि बीजेपी के कारण विकास का मुद्दा देश में चुनाव का अजेंडा बन गया है। पीएम ने सरकार की तारीफ करते हुए कहा कि विकास, तेज गति से विकास और सभी का विकास हमारे लिए चुनाव का अजेंडा है। वहीं बैतूल के एक कार्यकर्ता द्वारा राहुल गांधी द्वारा सरकार की बार बार आलोचना करने के विषय का जिक्र करने पर पीएम ने राहुल पर चुटकी भी ली।

पीएम ने कहा कि राहुल गांधी एक ही बात पर अटक गए हैं और हर बार वही बात बोलते हैं, लेकिन चुनाव के वक्त लोगों को इसका आनंद लेना चाहिए।

महत्वपूर्ण एवं खास

रक्का में सामूहिक कब्र से 1,500 नागरिकों के शव बरामद

दमिश्क (आरएनएस)। सीरिया के रक्का प्रांत में एक सामूहिक कब्र से 1500 से अधिक नागरिकों के शव बरामद हुये हैं। यह क्षेत्र कभी इस्लामिक स्टेट (आईएस) के पूर्ण नियंत्रण में था। अल-वतन समाचार-पत्र के हवाले से शिन्हुआ ने बताया कि कब्र से जो शव बरामद किये गये हैं वे रक्का पर अमेरिकी हवाई हमले में मारे गये नागरिकों के हैं।

रक्का में कब्रों से अभी तक चार हजार से भी अधिक नागरिकों के शव बरामद किये जा चुके हैं और रोजाना कब्र से नए शव बाहर निकाले जा रहे हैं। अमेरिकी नेतृत्व वाले गठबंधन ने रक्का पर कब्जा करने के लिए कुर्दीश नेतृत्व वाली सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्स (एसडीएफ) का साथ दिया था जो वर्ष 2017 में आईएस की वास्तविक राजधानी थी।

इमरान खान ने आंदोलनकारियों को दी चेतावनी

इस्लामाबाद (आरएनएस)। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने आंदोलनकारियों को सख्त चेतावनी दी है कि ईसाई महिला आसिया बीबी को बरी करने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ सरकार से संघर्ष न करें। इससे पहले ईशनिंदा मामले में आसिया बीबी को मौत की सजा सुनायी गयी थी।

चीन में मिले 8,000 साल पुराने ग्राम स्थलों के खंडहर

पेइचिंग (आरएनएस)। पुरातत्वविदों ने चीन के अंदरूनी मंगोलिया स्वायत्त शासी क्षेत्र में ऐसे ग्रामीण घरों के 16 स्थलों के खंडहर खोजे हैं जो 7,800 साल से ले कर 8,400 साल तक पुराने हैं। सरकारी समाचार एजेंसी सिन्हुआ की बुधवार की रिपोर्ट के मुताबिक ये स्थल सिमागोउ खंडहरों में हैं। ये यूमिन संस्कृति के प्रतीत होते हैं जो पुरापाषाण काल और नवपाषाण काल के बीच की मानी जाती है। इसका सबसे पहले पता 2014 में लगा था।

एक करोड़ की फिरौती के लिए दोस्त की हत्या कर हादसे की शक्ल देने की कोशिश

नई दिल्ली (आरएनएस)। दिल्ली में 1 करोड़ की फिरौती के लिए 26 साल के कारोबारी की उसी के दो दोस्तों ने हत्या कर दी। आरोप है कि कारोबारी पवन बाटला को मंगलवार रात होंडा सिटी कार समेत मॉडल टाउन इलाके से अगवा किया गया। अपहरणकर्ता चलती कार में उन्हें काबू नहीं कर पाए तो बेरहमी से हत्या कर दी। हत्या को हादसे की शक्ल देने के लिए इलाके के आउटर रिंग पर पवन को फेंक दिया और दो बार कार चढ़ाई। इसके बाद कार को पीतमपुरा ले जाकर आग के हवाले कर दिया।

827 पॉर्न साइट्स बंद, भड़के चाहने वाले

बताया नेट न्यूट्रैलिटी के खिलाफ

बेंगलुरु (आरएनएस)। भारत सरकार की तरफ से 827 पॉर्न वेबसाइट्स बैन करने का फैसला इनके यूजर्स और नेट न्यूट्रैलिटी के पैरोकारों को रास नहीं आ रहा है। खासकर उन लोगों को जिन्होंने इन वेबसाइट्स की पेनुअल सब्सिक्रिप्शन ले रखी है। हालांकि पॉर्न साइट्स के दिग्गजों की तरफ से अपने ग्राहकों के लिए कुछ इंतजाम भी किए गए हैं। अमेरिका और ब्रिटेन के बाद अपने तीसरे सबसे बड़े बाजार भारत के लिए पॉर्न हब जैसी दिग्गज वेबसाइट ने एक नई मिरर साइट बनाई है। इसी तरह एक वेबसाइट अब अपने यूजर्स को मोबाइल ऐप डाउनलोड करने की सलाह दे रही है।

लिफ्ट में पुलिस के सामने उतारे थे कपड़े

अब मॉडल ने बताई उस रात की पूरी कहानी

मुंबई (आरएनएस)। इंटरनेट पर मुंबई की एक मॉडल का विडियो वायरल हो रहा है। इस विडियो में वह लिफ्ट में खड़ी पुलिस वालों को लौट जाने के लिए कह रही हैं। इसी विडियो में लिफ्ट का वॉचमैन भी दिखाई देता है जिससे साथ विवाद की शुरुआत बताई जा रही है। मॉडल ने मीटू के साथ ट्विटर पर मुंबई पुलिस और विडियो में मौजूद अन्य लोगों पर कई आरोप लगाए थे। अब इस मामले में खुद मॉडल ने सामने आकर उस रात की पूरी कहानी बयां की है।

मीडिया के सामने उस रात की आपबीती बताते हुए मॉडल मेघा शर्मा ने कहा, रात में लिफ्ट वॉचमैन से सिगरेट खरीदकर लाने के लिए आग्रह कर रही थी। लेकिन उन्होंने कहा कि वह ड्यूटी पर हैं और वह सिगरेट खरीदने नहीं जा सकते। मैंने उनसे कहा कि आप किसी और वॉचमैन को बोल दें। पर, उन्होंने साफ मना कर दिया।

मॉडल के मुताबिक उस वॉचमैन ने उन्हें एक सिगरेट वाले का नंबर दिया। मेघा शर्मा बताती हैं, देर रात (करीब 1 बजे) के कारण शायद सिगरेटवाला सो रहा था। ऐसे में मैं खुद नीचे गई और सिगरेट खरीदकर लाई। सिगरेट लेकर जब मैं वहां पहुंची तो मैंने बहुत विनम्रता से वॉचमैन से कहा कि यहां तीन-चार लोग थे अगर कोई सिगरेट खरीदकर ला देता तो मुझे बाहर नहीं जाना पड़ता।

दवाइयों की ऑनलाइन बिक्री पर मद्रास हाई कोर्ट ने लगाई रोक

चेन्नई (आरएनएस)। मद्रास हाई कोर्ट ने बुधवार को दवाइयों की ऑनलाइन बिक्री को 9 नवंबर तक रोकने के अंतरिम आदेश को मंजूरी दे दी है। न्यायमूर्ति आर महादेवन ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया। चेन्नै स्थित तमिलनाडु केमिस्ट ऐंड ड्रगिस्ट असोसिएशन की ओर से यह याचिका दाखिल की गयी थी।

बता दें कि इस याचिका में मांग की गई थी कि अदालत अधिकारियों को उन लिंक्स को प्रतिबंधित करने को कहे, जिसके तहत ऑनलाइन दवाइयों की बिक्री होती है। अदालत ने केंद्र को इस मामले में जवाब देने को कहा और मामले की अगली सुनवाई के लिए 9 नवंबर की तारीख तय की। संगठन की दलील थी कि ऑनलाइन दवाइयों की खरीद उपभोक्ताओं के लिए सुविधाजनक हो सकती है लेकिन बिना लाइसेंस के ऑनलाइन स्टोर से दवाइयों की खरीद जोखिम भरा हो सकती है क्योंकि वे फर्जी, निर्धारित अवधि पार कर चुकी, दूषित और अस्वीकृत दवाइयां बेच सकते हैं।

इसके अलावा, भारत में फार्मेसी कानून औषधि और प्रसाधन अधिनियम, 1940, औषधि और प्रसाधन सामग्री नियम, 1945 और फार्मेसी अधिनियम, 1948 से परिभाषित होती हैं।

असोसिएशन ने कहा कि ये कानून कंप्यूटर के आगमन से पहले लिखे गए थे और देश में दवाइयों की ऑनलाइन बिक्री को परिभाषित करने के लिए कोई ठोस कानून नहीं है।

इस साल स्वाइन फ्लू की चपेट में आकर अब तक 302 की मौत

मुंबई (आरएनएस)। इस साल स्वाइन फ्लू की वजह से महाराष्ट्र में अब तक 302 मौतें हो चुकी हैं। एच1एन1 वायरस से फैलने वाले इस रोग के करीब 325 मरीज अभी भी अस्पताल में भर्ती हैं। स्वास्थ्य विभाग ने अलर्ट जारी कर दिए हैं जिसके अनुसार, किसी भी तरह का लक्षण मिलने पर तुरंत डॉक्टरों से संपर्क करें।

एक राज्य सर्विलांस अधिकारी ने बताया, 'स्वाइन फ्लू की वजह से पूरे प्रदेश में लगभग 302 लोगों की जानें जा चुकी हैं। 325 लोग अभी भी अस्पताल में हैं, इनमें से 22 से 23 मरीज वेंटिलेटर पर हैं जिनकी हालत काफी गंभीर है।' वह आगे कहते हैं कि स्वाइन फ्लू का कोई भी लक्षण दिखने पर लोगों को तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए।

लोगों की मौतों में ज्यादातर मामले पिछले दो महीने में सामने आए हैं। हाल ही की राज्य स्वास्थ्य रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ है कि नासिक में सबसे ज्यादा 76 मौतें हुई हैं जबकि पुणे सिटी में 64, पिंपरी छिंछवाड़ में 33 सतारा में 28, कोल्हापुर 17 मौतों का गवाह बना है।

हेल्थ एक्सपर्ट्स का मानना है कि पिछले दो महीनों में ज्यादा बारिश की वजह से स्वाइन फ्लू के मामलों और मौतों की संख्या में इजाफा हुआ है।

बड़गाम में 2 आतंकी ढेर, बौखलाए पत्थरबाजों ने सुरक्षाबलों और मीडिया पर किया हमला

श्रीनगर (आरएनएस)। जम्मू-कश्मीर के बडगाम में सुरक्षाबलों ने गुरुवार सुबह एनकाउंटर में दो आतंकवादियों को मार गिराया। एनकाउंटर के बाद सक्रिय हुए पत्थरबाजों ने नारेबाजी करते हुए सुरक्षाबलों और मीडिया कर्मियों पर पत्थर बरसाए।

हैरानी की बात है कि इन पत्थरबाजों में कई लड़कियां और महिलाएं भी शामिल नजर आई। हालांकि हर बार की तरह इस बार पत्थरबाजों के निशाने पर सुरक्षाबल नहीं बल्कि मीडियाकर्मी थे।

पिछले कुछ महीनों में घाटी में ऐसा एक ट्रेंड देखने को मिला है, जिसमें पत्थरबाज आतंकियों से एनकाउंटर के वक्त सुरक्षाबलों पर पत्थर बरसाते हैं। इनका सीधा मकसद होता है एनकाउंटर के वक्त सुरक्षाबलों का ध्यान बंटाना जिससे आतंकी मौके से फरार होने में कामयाब हो सकें।

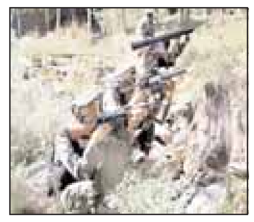

बता दें कि सुरक्षाबलों को इस इलाके में कुछ आतंकियों की मौजूदगी की सूचना मिली थी। इसके बाद वहां स्थानीय पुलिस के सहयोग से सर्च ऑपरेशन चलाया गया।

सुरक्षाबलों की इस कार्रवाई को देख आतंकियों ने उन पर फायरिंग की। सुरक्षाबलों ने भी इसका मुंहतोड़ जवाब दिया।

ओडिशा के छह शहरों में आज से लगेगा प्लास्टिक-पॉलीथीन पर प्रतिबंध

भुवनेश्वर (आरएनएस)। ओडिशा सरकार राज्य के छह शहरी क्षेत्रों में प्लास्टिक और पॉलीथीन के इस्तेमाल पर गुरुवार से प्रतिबंध लगा देगी। पर्यावरण निदेशक एवं विशेष सचिव के मुरुगेसन ने कहा कि राज्य सरकार भुवनेश्वर, कटक, राउरकेला, बेरहमपुर और पुरी में गुरुवार से पॉलीथीन पर प्रतिबंध लगाने के लिए सख्त कार्रवाई करेगा। व्यापारिक प्रतिष्ठानों के प्लास्टिक और पॉलीथीन बैग के गोदामों को सीज किया जायेगा जबकि इसे बनाने वाली कंपनियों को सील कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि यदि कोई व्यापारी या निर्माण इकाई प्रतिबंधित पॉलीथीन की वस्तुएं बनाती हुई या बेचती हुई पायी गयी तो उन पर तीन हजार से एक लाख रुपये तक जुर्माना लगेगा। यह जुर्माना जब्त की गयी प्रतिबंधित वस्तुओं की मात्रा पर आधारित होगा।

सुको ने केंद्र से 36 राफेल विमान की कीमत से संबंधित जानकारियां मांगी

नई दिल्ली (आरएनएस)। सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार से फ्रांस से खरीदे जा रहे राफेल विमान की कीमत संबंधित जानकारियां मांगी हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि सरकार 10 दिनों के भीतर एक सीलबंद कवर में कीमत संबंधित जानकारियां दे। हालांकि सर्वोच्च न्यायालय ने फिर से यह स्पष्ट किया कि उसे राफेल सौदे से जुड़ी तकनीकी जानकारी नहीं चाहिए। अदालत ने केंद्र से कहा कि अगर विमान की कीमत विशिष्ट सूचना है और इसे साझा नहीं किया जा सकता है, तो इसके लिए एफिडेविट दाखिल करें।

सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रंजन गोगोई के नेतृत्व में तीन सदस्यी बेंच ने कहा कि केंद्र सरकार इस डील को लेकर हुए लिए गए फैसलों की प्रक्रियाओं की जानकारी पब्लिक डोमेन में लेकर आए। साथ ही सरकार को राहत भी दी कि गोपनीय और रणनीतिक महत्व वाली जानकारियों को बताने की जरूरत नहीं।

14 नवंबर को होगी अगली सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई के लिए 14 नवंबर की तारीख तय की है।

सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल से मौखिक तौर पर कहा कि अगर लड़ाकू विमान की कीमत विशिष्ट सूचना है और इसे साझा नहीं किया जा सकता है, तो इसपर हलफनामा दाखिल करें। सुप्रीम कोर्ट राफेल डील से संबंधित चार याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा था।

इसमें से एक ऐडवोकेट प्रशांत भूषण, पूर्व मंत्री अरुण शौरी व यशवंत सिन्हा की याचिका भी है। इसमें तीनों ने कोर्ट की मॉनिटरिंग में सीबीआई जांच की मांग कर रखे है।

चीफ जस्टिस ने कहा कि इसके लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि पहले सीबीआई को अपना घर दुरुस्त कर लेने दीजिए।

अटॉर्नी जनरल ने बेंच को बताया कि राफेल की कीमत विशिष्ट सूचना है और यहां तक कि इसे संसद में भी साझा नहीं किया गया है। उन्होंने यह भी कहा कि कोर्ट के सामने केंद्र की तरफ से पेश किए गए दस्तावेज ऑफिशल सिक्रिट्स ऐक्ट के तहत आते हैं।

शीर्ष अदालत ने कहा कि रणनीतिक और गोपनीय समझे जाने वाले दस्तावेजों को साझा नहीं किया जा सकता है।

उसने केंद्र से अगले 10 दिन में भारत के ऑफसेट साझेदार की जानकारी सहित अन्य सूचनाएं मांगी हैं। याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए पीठ ने यह भी कहा कि किसी भी जनहित याचिका में राफेल सौदे की उपयुक्तता या तकनीकी पहलुओं को चुनौती नहीं दी गई है।